UP RVUNL	**उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0** **(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)** **शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार** **14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001**

संख्याः 658–मा0सं0–01 / वि0उ0नि0लि0 / 2023–21–मा0सं–01 / 2007 दिनॉकः 24 फरवरी, 2023

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में विज्ञापन संख्या यू–37 / यूपीआरवीयूएसए / 2019 के माध्यम से चयनित सहायक अभियन्ताओं (प्रशिक्षु) (जानपद), जिनकी नियुक्ति निगम के आदेश संख्याः 5346–मा0सं0–01 / वि0उ0नि0लि0 / 2021 दिनांक 30.12.2021 द्वारा की गयी है, के निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त आयोजित अन्तिम संविलीनीकरण परीक्षा का निदेशक, तापीय प्रशिक्षण संस्थान, ओबरा, सोनभद्र के पत्रांक 761 / ता0प्र0सं / उनिलि / टी–10 दिनांक 03.02.2023 के माध्यम से घोषित परिणाम में उत्तीर्ण अधोअंकित अभ्यर्थियों को, उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–5 में उल्लिखित तिथि से अस्थायी सहायक अभियन्ता (जानपद) के पद पर उपरोक्त सन्दर्भित नियुक्ति पत्र में वर्णित सेवा शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता हैः–

क्र0 सं0	सैप आई0डी0	नाम सर्वश्री / सुश्री / श्रीमती	तैनाती स्थल	नियमित सहायक अभियन्ता (जानपद) पद पर नियुक्ति तिथि
1	106453	अक्षय सिंह	पारीछा	03.02.2023
2	106512	गौरव बाजपेयी	पारीछा	03.02.2023
3	106479	प्रशान्त कुमार सिंह	ओबरा	03.02.2023
4	106480	रजनीश कुमार	ओबरा	03.02.2023
5	106523	शैलजा कान्त उपाध्याय	ओबरा	03.02.2023
6	106495	उमंग पाठक	ओबरा	03.02.2023
7	106365	वीर प्रताप सिंह	अनपरा	03.02.2023
8	106352	सचिन श्रीवास्तव	अनपरा	03.02.2023
9	106409	शशांक त्यागी	हरदुआगंज	03.02.2023
10	106410	जोनी बिल्टोरिया	हरदुआगंज	03.02.2023

2– उपरोक्त सहायक अभियन्ताओं पर उत्पादन निगम लि0 में प्रचलित तथा भविष्य में समय–समय पर जारी किये जाने वाले सेवा नियम, विनियम, प्रशासनिक आदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फण्ड से सम्बन्धित आदेश लागू होंगे। ज्ञातव्य हो कि उत्पादन निगम की सेवायें पेंशनरी नहीं हैं, अतः सेवानिवृत्ति पर किसी तरह की पेंशन अनुमन्य नहीं है। पूर्व सेवायोजक के अधीन सेवायें पेंशनरी होने की स्थिति में भी निगम में पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।

3– उपरोक्त नियुक्तियॉ सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन तथा स्वास्थ्य उपयुक्तता संतोषजनक पाये जाने के प्रतिबन्ध के अधीन की गई हैं। चरित्र एवं पूर्ववृत्त के असंतोषजनक पाये जाने की दशा में सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्ति किसी भी समय बिना कारण बताये हुए अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

24/02/2023

क्रमशः 2

4– यह नियुक्तियॉ अस्थायी हैं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र के उचित माध्यम से सत्यापन किये जाने की शर्त पर की जाती है। यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग का दावा झूठा पाया जाता है तो सम्बन्धित सहायक अभियन्ता की सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और झूठे प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत आगे की कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।

5– यदि किसी भी समय चिकित्सा सम्बन्धी प्रमाण पत्र अथवा शैक्षिक योग्यता, अनुभव एवं अन्य कोई प्रमाण पत्र झूठा/फर्जी पाया जाता है तो सेवायें बिना कारण बताये तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेंगी व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या : (1) मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2023–तद्‌दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर।
3. मुख्य महाप्रबन्धक, ओबरा/अनपरा/हरदुआगंज/पनकी/ पारीछा/जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, ओबरा (सोनभद्र)/अनपरा (सोनभद्र)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)/पारीछा (झॉसी)/मलावन (एटा)।
4. मुख्य अभियन्ता (मा0सं0)/तापीय परिचालन/ईंधन/वाणिज्य/पीपीएमएम/पर्यावरण एवं सुरक्षा/आर0 एण्ड एम0/जानपद–नव परियोजनाएँ, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर–।/।।), पी0पी0एम0एम0/न्यू कोल ब्लाक/प्रगति, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
6. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–01/02/03/04/05/06)/रिफार्म/तापीय परिचालन इकाई/टाण्डा वाइंडिग सेल/प्रशिक्षण, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), कैश प्रबन्धन इकाई, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. अनुभाग अधिकारी (मा0सं0–06), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाईल।

आज्ञा से,

24/02/2023

(नीरज कुमार तिवारी)
अधिशासी अभियन्ता (मा0सं0–01)